



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 198-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017 (KARTIKA 22, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 14 नवम्बर, 2017

संख्या 124/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में, सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 11क के सामने, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि की बिक्री के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की गई सेवा।”;

- (ख) क्रम संख्या 11ख और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 79 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79क	शीर्ष 9996	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम 24) के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियमों के अंतर्गत इस प्रकार घोषित संरक्षित संस्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं"।

यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 14th November, 2017

No. 124/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017 in the Table, -

- (a) against serial number 11A, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 "Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union Territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against consideration in the form of commission or margin.";
- (b) serial number 11B and entries thereagainst shall be omitted;
- (c) after serial number 79 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79A	Heading 9996	Services by way of admission to a protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958) or any of the State Acts, for the time being in force	Nil	Nil".

This Notification shall come into force with effect from the 15th November, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.